न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 16/2017

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सीतादेवी पत्नि नारणाराम कौम घांची निवासी देवपुरा तहसील रानीवाडा		1. सुकीदेवी पत्नि भीखसिंह 2. भीखसिंह पुत्र वेनसिंह 3. गमुसिंह पुत्र भीखसिंह 4. शेरसिंह पुत्र भीखसिंह 5. भवरसिंह पुत्र भीखसिंह जातियान राजपुत निसासीगण देवपुरा तहसील रानीवाडा 6. तहसीलदार रानीवाडा

दावा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीया अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
3. प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 21.07.2022

1. वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 188 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा वादीया की शामलाती खातेदारी आराजी मौजा देवपुरा तहसील रानीवाडा में खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर की आई हुई है। उक्त आराजी में वादीया का 2/3 हिस्सा का हक व स्वामित्व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है तथा उक्त आराजी में वादीया की सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 सुकीदेवी आई हुई है। उक्त आराजी में प्रतिवादीया सुकीदेवी का 1/3 हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में हक व हिस्सा दर्ज है। वादीया ने उक्त आराजी के बेचानकर्ता सायरदेवी पत्नि अमीचन्द जाति जैन निवासी रानीवाडा से मौल खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि सुकीदेवी का पति लगता है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4, व 5 जो की सुकीदेवी के पुत्र है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक सभी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीया ने उक्त आराजी खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 है को खरीद करने के साथ–साथ वादीया ने खसरा नबंर 1336/1 रकबा 1.46 हैक्टर व खसरा नबंर 1336/2 रकबा 1.46 है जुमले रकबा 2.92 हैक्टर को खरीद किया था जिसकी नकल जमाबंदी चालु व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। खसरा नबंर 1336/1 व खसरा नबंर 1336/2 जुमले रकबा 2.92 हैक्टर की आराजी वादीया की एकल खातेदारी की आराजी है जिसमें कोई सहखातेदार का हक हिस्सा व स्वामित्व नहीं है। खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर की आराजी राजस्व रेकर्ड में वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 के राजस्व रेकर्ड की शामलाती खातेदारी की आई हुई है मगर मौके पर उक्त आराजी का उपयोग व [illegible] वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के लिए रास्ते हेतु ही किया जा रहा है। खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर जो की पश्चिमी हिस्से पर पक्की डामर सड़क से निकलकर वादीया के दोनों खसरा नबंर 1336/1 व 1336/2 से लगता हुआ आगे प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नबंर 1336 [illegible] जाकर बंद हो जाता है इस प्रकार खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर की आराजी मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested

वादीया व वादीया के परिवारजनों तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक के लिए रास्ते का उपयोग व उपभोग पैदा करती है। वादीया व वादीया का परिवार उक्त आराजी के वक्त खरीद से ही उक्त खसरा नबंर 1336/3 के आराजी को रास्ते के लिए उपयोग व उपभोग करती आ रही है। उक्त आराजी खसरा नबंर 1336/3 के दोनो और कांटो व थोरों की बाड़ की माढ बनी हुई है। तथा बीच में से रास्ता चलता है। जिसका मौके पर भी रास्ता के आलामात मौजुद हैं तथा राजस्व रेकर्ड में भी खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर रास्ते के आलामात को दर्शित करता है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक उक्त रास्ता खसरा नबंर 1336/3 की आराजी को हड़पने की मंशा के चलते वादीया व वादीया के परिवारजनों को उक्त खसरा नबंर 1336/3 की आराजी में से चलने हेतु मना किया तथा कहा कि आप इस जगह से आवागमन नहीं कर सकते हो। इस आराजी की खातेदारी को आप (वादीया) से पहले हमारा (प्रतिवादी संख्या 1) का नाम दर्ज हुआ है तथा आपने उक्त आराजी को बाद में खरीदकर राजस्व रेकर्ड में नाम चढाया है। इसलिए मुझ वादीया को उक्त आराजी पर से चलने फिरने व ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरण आदि लाने व ले जाने का मना करने लगे तब वादीया ने कहा कि उक्त आराजी खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर में मेरा 2/3 हिस्सा है इसलिए उक्त आराजी पर मेरा अधिकार ज्यादा है मगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से लगाकर 5 तक सभी एक राय होकर लाठी के बल पर वादीया व वादीया के परिवार को नहीं चलने देने की धमकी देने लगे तब वादीया व वादीया के किसी परिवारजन द्वारा उक्त आराजी पर से चलने तथा कृर्षि उपकरण इत्यादी लाने व ले जाने की अवस्था में कुल्हाडी से काट देने की धमकी देने लगे, तो प्रार्थीया को उक्त रास्ता से रोकने हेतु बल प्रयोग करने की धमकी तक देने लगे, तब वादीया ने प्रतिवादीया के उक्त कृत्यों को रूकवाने हेतु प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश कर रही है।

2. वादकारण सर्वप्रथम तब पैदा हुआ जब मुझ वादीया ने उक्त खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1336/1 व 1336/2 की पुरी आराजी व खसरा नबंर 1336/3 की 2/3 हिस्सा की आराजी को खरीद किये गये खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर की आराजी पर स्थित रास्ते से आवागमन नहीं करने देने की धमकी दी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने कहा कि हमारे उक्त आराजी आप वादीया से पहले खरीद की है, इसलिए तुम्हारा इस रास्ते की खातेदारी आराजी पर कोई हक नहीं बनता हैं तथा उसके बाद वादकारण तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक ने जबरन लोहे के गेट को खोलकर वादीया व वादीया के परिवारजनों को आवागमन करने से रोकने की धमकी दी तथा उसके बाद वादकारण आज दिनांक तक बदस्तुर जारी है।
3. वादीया द्वारा अनुतोष में निवेदन किया है कि मौजा देवपुरा के खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर में से वादीया व वादीया के परिवारजनों को आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग हेतु तथा कृर्षि यन्त्र के आवागमन हेतु प्रतिवादीया संख्या 1 से 5 द्वारा बाधा नहीं पहूचावे व कोई रोक–टोक नहीं की जावे तथा न ही प्रतिवादीगण ऐसा कृत्य किसी अन्य से करावे। इस हेतु वादीया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे जावे। व मौजा देवपुरा के खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर की आराजी के पश्चिमी हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जो लोहे का गेट लगवाया है उक्त लोहे के गेट को हटाया जाने की आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी की जावें।
4. वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से और से जवाब अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। व प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया के नाम उक्त खसरा नबंर 1336/8 रकबा 0.09 हैक्टर में 2/3 हिस्सा गलत इंन्द्राज हुआ है। उस पर केवल प्रतिवादी संख्या 1 सुकीदेवी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 उक्त आराजीयान के सहखातेदार नहीं है इसलिए उन्हें उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी पक्षकार के रूप में गलत तरीके से विधि विरूद्व नाम संयोजित किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। बिना विधि सम्मत टाईटल के उन्हें वादीया वाद पत्र में नाम संयोजित कर बैवजह परेशान करने का कोई अधिकार नहीं रखती है सो वाद पत्र में पक्षकारों के नाम कुसंयोजित के आधार पर वादीया का वाद पत्र काबिज खारिज है।

आराजीयान में वाद ग्रस्त आराजी का मौके पर किसी प्रकार का उभय पक्षकारानों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं है। केवल मात्र स्वयं के नाम की कृषि भुमि में अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे है वादीया ने मिथ्या एवं गलत कथन कर स्वयं की कृषि भुमि का बखान कर न्यायालय हाजा का कीमती समय जाया करने का कुत्सित प्रयास किया है सो वादीया का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भुमि खसरा नबंर 1336 रकबा 1.46 हैक्टर तथा खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर में से 1/3 की कृर्षि भुमि वादीया से पहले दिनांक 23.11.2006 को जरिये रजिस्ट्री मौल खरीद कर ली है जिसमें मुख्य डामर सड़क से खसरा नबंर 1336 तक प्रतिवादी संख्या 1 कुकीदेवी के खातेदारी आराजी तक आवागमन हेतु अन्यत्र कोई वैकल्पिक रासता उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ते के रूप में खरीद कर ली थी जिसका उपयोग उपभोग केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के लिए ही उपयुक्त है प्रतिवादी संख्या 1 को वक्त बैचान दिनांक 23.11.2006 से आज दिन तक लगातार 12 वर्षो से प्रतिकुल कब्जा उक्त आराजी खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर पर है मौके पर एक चक रास्ते के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 उपयोग उपभोग करती आ रही है। तथा उक्त रास्ते के कांटो की थोर बनी होकर वादीया की कृर्षि भुमि खसरा नबंर 1336/1, 1336/2 से अलग है। तथा उक्त सामलाती कृर्षि भुमि में बिना विभाजन करवाये सहखातेदार के विरूद्व किसी भी पक्षकार द्वारा आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकते है। तथा राजस्व रेकर्ड में खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म भुमि बारानी दोयम दर्ज है। गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज नहीं है। सो वादीया का वाद पत्र काबिल खारिज है।

वाद पत्र का पद संख्या 5 का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 के कदीमी कब्जा काश्त लगातार 12 वर्षो से वक्त खरीद से आज दिन तक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। तथा वादीया के स्वामित्व की कृर्षि भुमि खसरा नबंर 1336/1, 1336/2 कुल रकबा 2.92 हैक्टर के पश्चिमी लोर पर डामर सड़क स्थित है। जिस पर लोहे का गैट लगा हुआ है। तथा चारो तरफ थोर की बाड़ बनी हुई है। तथा वादीया अपने खातेदारी कृर्षि भुमि की शान्ति पुर्वक प्रतिवादी संख्या 1 से अलग–अलग तरीके से अपने खातेदारी कृर्षि भुमि में मुख्य सड़क पर स्थित कृर्षि भुमि से सीधे प्रवेश कर के खेत में अति सुगमता पूर्वक आवागमन कर कृर्षि भुमि का उपयोग व उपभोग करती आ रही है इसमें प्रतिवादी संख्[illegible]ज दिन तक कभी भी किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न ही [illegible] वादीया या उसके परिवारजनों को उक्त आराजी के उपयोग व उप[illegible] उक्त आराजी में जब मुख्य सड़क से पहला खेत वादीया आती है तो प्रतिवा[illegible] संख्या 1 या उसके परिवारजन वादीया की किस प्रकार खेत में रास्ते में आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यह मिथ्या एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested

निराधार कथन वादीया ने वाद पत्र में वर्णित किये है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृर्षि भुमि वादीया के खेत खसरा नबंर 1336/1, 1336/2 के पुर्वी दिशा में डामर सड़क से दुर स्थित है। इसलिए केवल मात्र उसके खातेदारी कृर्षि भुमि खसरा नबंर 1336 में डामर सड़क से आवागमन हेतु ही खसरा नबंर 13336/3 वास्तविक रूप से खरीद किया था, वादीया के उक्त आराजी का कोई महत्व ही नहीं है, क्योकि उसके खातेदारी खेत खसरा नबंर 1336/1, 1336/2 मौके पर डामर सडक के लगती हुई स्थित है। उक्त वाद पत्र केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके परिवारजनों को बिना वजह परेशान करने हेतु न्यायालय हाजा को गुमराह करने हेतु प्रस्तुत किया है सो वाद बिना वाद कारण चलने योग्य नहीं है।

6. हमने वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके आधार 7 तनकीयात कायम की गई तथा दोनों के अधिवक्ता द्वारा एक्सप्लेन की गई। जिस पर सहमति प्रकट की।
7. वादीया द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मौजा देवपूरा का राजस्व नक्शा जो प्रदर्श 1 है, मौजा देवपूरा की के खाता संख्या 210 की जमाबंदी जो प्रदर्श 2 है, मौजा देवपूरा के खाता संख्या 214 की जमाबंदी जो प्रदर्श 3 है, बैचान दस्तावेज दिनांक 24.12.2010 जो प्रदर्श 4 है पेश किये गए। व प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में दस्तावेज पेश नही किये गए।
8. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य श्री सीतादेवी पत्नि नारणाराम व नारणाराम पुत्र गलबाजी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य करवाई गई जिनकी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों के अधिवक्ता द्वारा की गई। व प्रतिवादीगण की ओर साक्ष्य नहीं करवाने पर साक्ष्य बंद की गई।
9. हमने उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का भली–भांति अध्ययन किया एवं बहस तथ्यों पर मनन किया गया। अतः तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी संख्या–1

वादिया द्वारा मौजा देवपुरा के खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर जमाबंदी प्रदर्श–3 में से वादीया के खेत संख्या 1336/1 व 1336/2 प्रदर्श–2 की आराजी में आवागमन करने हेतु प्रतिवादी सुकीदेवी व अन्य के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2070–2073 प्रदर्श–2 व 3 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1 प्रस्तुत किया। जो प्रदर्श–4 पंजीयन दस्तावेज संख्या–4 से खरीद की गयी है। वादीया व वादीया के पति नारायणाराम के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जिनके गवाह का अध्ययन किया। मुख्य रूप से जमाबंदी प्रदर्श–3 में खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर में सामलाती खातेदार सुकीदेवी पत्नि भीखसिह कौम राजपुत साकिन रानीवाडा, सीतादेवी पत्नि नारणाराम कौम धांची 2/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या–1 सुकीदेवी ने उक्त आराजी रास्ते हेतु खरीद करना बताया है, उक्त स्थिति में वादीया का 2/3 हिस्से की आराजी विशिष्ट रूप से जमाबंदी व नक्शा में दर्शित नहीं है। इस प्रकार प्रदर्श–3 जमाबंदी व प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस में वादीया विशिष्ठ भाग अंकित नहीं होने से वादीया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादीया के विरूद्व एवं प्रतिवादी के [illegible] निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या –2

उपर्युक्त विवेचन तनकी संख्या–1 के अनुसार वादीया का विशिष्ठ भाग खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का प्रदर्श–3 जमाबंदी व प्रदर्श–1

नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं है। प्रतिवादी सुकीदेवी द्वारा अपने खेत में जाने हेतु मोल खरीदना अपने जवाबदावा में व्यक्त किया है। तथा प्रतिवादी संख्या–1 के खेत खसरा संख्या 1336/2 रकबा 1.46 हैक्टर आया हुआ है, जिसमें आवागमन हेतु प्रदर्श–3 व प्रदर्श–1 में अंकित आराजी का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। खेत में पशुओं द्वारा नुकशान नहीं पहुचाये, इस कारण गेट लगाया गया है। वादीया में प्रदर्श–2 व प्रदर्श–1 के अनुसार अपने खेत में जाने हेतु पश्चिमी माठ खसरा नबंर 1336/1 के लगता हुआ डामर रोड स्थित है। जिससे आवागमन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार जब वाद में तनकी संख्या–1 मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना संभव नहीं होने से किसी प्रकार का आज्ञापक निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वादीया अधिकारीणी नहीं है। अतः उक्तानुसार विवेचनानुसार यह तनकी वादीया के विरूद्व में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने जवाबदावा में वादीया द्वारा जमाबंदी प्रदर्श–3 में नाम गलत दर्ज होना बताया है। जिस पर वादीया के गवाह का प्रतिपरिक्षण करने पर खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर पर कब्जा काश्त नहीं होना व्यक्त किया है तथा प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने जवाबदावा में कब्जा काश्त वादीया का नहीं होकर प्रतिवादी संख्या–1 का है। इस प्रकार प्रतिवादी सख्या–1 का प्रतिकुल कब्जा चला आ रहने से वादीया का वाद काबिल खारीज है। अतः प्रतिवादी संख्या–1 के जवाबदावा व वादीया के गवाह प्रतिपरिक्षण के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 का कब्जा काश्त होने से वादीया का वाद को खारीज कराने में सफल रहा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में व वादीया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–4

उपर्युक्त तनकी संख्या–1 व 2 के विवेचन के अनुसार वादीया ने प्रतिवादी संख्या–2 से 5 को दावे में कुसंयोजित किया जाना साबित होता है। क्योंकि उक्त प्रतिवादीगण विवादित आराजी में सहखातेदार नहीं होना साबित है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में व वादीया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–5

प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1336 रकबा 1.46 हैक्टर जवाबदावा के अनुसार जमाबंदी में दर्ज है। तथा खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर में से 1/3 हिस्से की कृषि भुमि वादीया से पहले दिनांक 23.11.2006 को जरिये बैचान दस्तावेज से प्रतिवादी संख्या–1 ने क्रय करना अपने जवाबदावा में व्यक्त किया है। जो प्रतिवादी संख्या–1 की खसरा नबंर 1336 में आवागमन हेतु खरीद गयी बताया। जो नक्शा ट्रेस 1 एवं जमाबंदी प्रदर्श–3 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के लिए उपयुक्त है। इस प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद से लगातार 12 वर्षो से प्रतिकुल कब्जा काश्त मौके पर एक चल रास्ते के रूप में प्रतिवादी संख्या–1 उपयोग उपभोग करती आ रही है। वादीया ने भी गवाह में प्रतिपरीक्षण में वादीया का कब्जा नहीं हैं। जमाबंदी प्रदर्श–3 खसरा नबंर 1336/3 रकबा 0.09 हैक्टर बारानी दोयम दर्ज है, जो संयुक्त खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज हैं इसलिये बिना विभाजन करवाये सह खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार से आज्ञापक आदेश स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जो स्थिति विधिसम्मत हैं अतः वर्तमान भी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में व वादीया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या–6

प्रतिवादी संख्या–1 ने वादीया के खातेदारी कृषि भुमि खसरा नबंर 1336/1 व 1336/2 की पश्चिमी माठ पर स्वयं के आवागमन हेतु मुख्य सड़क उपलब्ध होना अपने जवाबदावा में व्यक्त किया है। वादीया द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस–1 व जमाबंदी प्रदर्श–2 के अनुसार वादीया के खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1336/1 के लगती माठ पर मुख्य सड़क उपलब्ध है तथा इसी खसरे के पास खसरा नबंर 1336/2 वादीया की आई हुई है। ऐसी स्थिति में वादीया के खातेदारी में आवागमन हेतु उपलब्ध है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में व वादीया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–7

प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने जवाबदावा में खसरा नबंर 1336 में आने जाने एवं उपयोग उपभोग हेतु ही खसरा नबंर 1336/3 की आराजी की आत्यांकित आवश्यकता होने एवं आवारा पशुओं के अवैध प्रवेश को रोकने हेतु लोहे के दरवाजे लगाये है। जिससे वादीया के कृषि भुमि पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडने तथा बिना विनाय वाद उपलब्ध के वादीया का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या की उक्त स्थिति के कारण प्रवेश गेट लगाया गया है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में व वादीया के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवाद निर्णय के अनुसार वादीया का वाद काबिल खारीज योग्य है।

–: आदेश :–

10. वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तनकी संख्या 1 से 7 के विवेचनानुसार सभी तनकीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में निर्णित होने से वादीया का वाद खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
सीतादेवी पत्नि नारणाराम कौम घांची निवासी देवपुरा तहसील रानीवाडा	**बनाम**	1. सुकीदेवी पत्नि भीखसिंह 2. भीखसिंह पुत्र वेनसिंह 3. गमुसिंह पुत्र भीखसिंह 4. शेरसिंह पुत्र भीखसिंह 5. भवरसिंह पुत्र भीखसिंह जातियान राजपुत निसासीगण देवपुरा तहसील रानीवाडा 6. तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 88, 53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 16/2017

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 से 5 के वकील श्री पूखराज विश्नोई, व प्रतिवादी संख्या 6 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तनकी संख्या 1 से 7 के विवेचनानुसार सभी तनकीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में निर्णित होने से वादीया का वाद खारीज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21.07.2022 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	3	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	**मौजाना**	3	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.08.05 17:03:28 IST
Reason: SelfAttested